संख्या-1/2021/333 /एक-1-2021-रा0-1

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 18 मार्च, 2021

विषयः-जनपद गोरखपुर में गुरू गोरक्षनाथ चिकित्सालय, गोरखपुर मन्दिर, गोरखपुर द्वारा बिना पूर्वानुमति के क्रय की गयी 12.5 एकड़ से अधिक भूमि के अन्तरण को जुर्माने से छूट प्रदान करते हुए कार्योत्तर स्वीकृति/विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-515/भू0व्यय0-2021, दिनांक 27.01.2021, पत्र संख्या-528/भू0व्यय0-2021, दिनांक 05.02.2021 तथा पत्र संख्या-535/भू0व्यय0-2021, दिनांक 10.02.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि गुरू गोरक्षनाथ चिकित्सालय, गोरखपुर मन्दिर, गोरखपुर द्वारा राज्य सरकार से बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये ग्राम सोनबरसा व सिक्टौर, तहसील सदर, जनपद गोरखपुर में वर्ष 2005 से वर्ष 2020 तक भिन्न-भिन्न तिथियों में कुल 49.4014 हे0 भूमि संस्था के उपयोगार्थ क्रय की गयी है। श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय समिति, गोरखपुर मन्दिर परिसर, गोरखपुर द्वारा श्री गोरक्षनाथ इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (1000 बेड का चिकित्सालय) के साथ महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा एवं शिक्षा सहित विविध लोक कल्याणकारी सेवा प्रकल्पों के लिए विभिन्न बैनामों के माध्यम से 44.3428 हे0 भूमि अधिक क्रय की गयी है, जिसे शासन के संगत अधिनियमों एवं शासनादेशों के क्रम में बैनामों के विनियमितीकरण का निर्णय राज्य सरकार द्वारा राजस्व संहिता, 2006 की धारा 89(3) के अन्तर्गत लिया जाना प्राविधानित है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-6621/2012 उत्तराखण्ड सरकार बनाम गुरू रामदास ट्रस्ट सोसाइटी "रिपोर्टेड 2012 (2) एस सी सी 648" में पारित आदेश दिनांक-18.09.2012 के आलोक में तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 यथा संशोधित, 2020 की धारा 89 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल गुरू गोरक्षनाथ चिकित्सालय, गोरखपुर मन्दिर, गोरखपुर द्वारा "गुरु गोरक्षनाथ इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज" एवं "महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय" तथा चिकित्सा एवं शिक्षा सहित विविध लोक कल्याणकारी सेवा प्रकल्पों के लिए राज्य सरकार से बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये ग्राम सोनबरसा व सिक्टौर, तहसील सदर, जनपद गोरखपुर में भिन्न-भिन्न तिथियों में क्रय की गयी कुल 49.4014 हे0 भूमि के विनियमितीकरण की अनुमति जुर्माने के संदाय से छूट प्रदान करते हुए, निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग "गुरु गोरक्षनाथ इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज" एवं "महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय" की स्थापना तथा संस्था के चैरिटेबिल कार्यों के लिए किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) संस्था को 5.0586हे0 से अधिक क्रय की गयी 44.3428हे0 भूमि का जिलाधिकारी सर्किल रेट के अनुसार आगणित मूल्यांकन का 10 प्रतिशत अर्थात कुल रुपया 4,84,06,840/- (चार करोड़ चैरासी लाख छः हजार आठ सौ चालीस रुपए मात्र) के जुर्माने के संदाय से छूट प्रदान की जाएगी।

(3) जिलाधिकारी द्वारा विनियमितीकरण से पूर्व संस्था के सम्बन्धित गाटों के विक्रय पत्रों की जांच कर यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि प्रश्नगत गाटे संस्था द्वारा क्रय/अर्जित किए गए हैं।

(4) उपरोक्त शर्तों का अनुपालन जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा।

भवदीय,
सुरेश चन्द्रा
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. मण्डलायुक्त, गोरखपुर।
5. श्री कमलनाथ योगी शिष्य ब्रम्हलीन नौमीनाथ मुख्तारेआम गुरू गोरक्षनाथ चिकित्सालय, गोरखपुर मंदिर, गोरखपुर।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
महेन्द्र सिंह
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।